रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1779] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2017/आषाढ़ 2, 1939
No. 1779] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2017/ASHADHA 2, 1939

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2017

का.आ. 1998(अ).— खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 3 और 4 के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से खादी और ग्रामोद्योग आयोग के विशेषज्ञ सदस्य (तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण) के रूप में डॉ. शीला राय को नियुक्त करती है और उस प्रयोजनार्थ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 26 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2922(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (2) के पश्चात् गैर-सरकारी विशेषज्ञ सदस्य से संबंधित पैरा II में तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामत: -

"(3)	डॉ. शीला राय, 6, शिवाजी नगर, सिविल लाइन्स जयपुर-302006, राजस्थान	अंश कालिक"

2. डॉ. शीला राय 25 अक्तूबर, 2018 को समाप्त अवधि के लिए कार्यभार संभालेंगी।

[फा. सं. ए-43013/6/2015-केवीआई-पी]

बी. एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2017

S.O. 1998(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), read with rules 3 and 4 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006, the Central Government hereby appoint Dr. Sheila Rai as Expert Member (Technical Education and Training) of the Khadi and Village Industries Commission, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette and for that purpose makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, number S.O. 2922 (E), dated the 26th October, 2015 namely:- In the said notification, in paragraph II relating to Non-official Expert Member, after serial number (2) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"(3)	Dr. Sheila Rai, 6, Shivaji Nagar, Civil Lines, Jaipur-302006, Rajasthan	Part Time"

2. Dr. Sheila Rai shall hold office for a period ending on the 25th October, 2018.

[F. No. A-43013/6/2015-KVI-P]

B. H. ANIL KUMAR, Jt.Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.06.27 10:34:04 +05'30'